

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : नावां सिटी,

जयराम शं. बालुशाम जाट




बनाम :

इशाराम शं. हेमराम जाट

सां कुणी
किस्त मुकदमा 251A प्रा० पत्र

मु. नम्बर

99 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
29/11/18	<p>वकील प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251A के तहत पेश किया है जो दर्ज रजिस्ट्र किया जाता है। मू. अ. निरीक्षक लूणवां को तहरीर भेज कर आदेश दिया जाता है कि पक्षकारों को विधिवत रूप से सूचित कर पक्षकारों में का रिपोर्ट तैयार कर पेश करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 7-1-19 को पेश हों।</p> 	
7-1-19	<p>वकील प्रार्थी उपर्युक्त नोटिस तामील अदम तामील प्राप्त नहीं इतजाह होकर पत्रावली दिनांक 14/1/19 को पेश हो।</p> 	
15/1/19	<p>पत्रावली पेश कर एसोसियेशन में कन्जलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया / पत्रावली इलाका हाकर दिनांक 21/1/19 को पेश हो।</p>	
21/1/19	<p>पत्रावली पेश कर एसोसियेशन में कन्जलेंस कर कार्य स्थगन का निवेदन किया / पत्रावली इलाका हाकर दिनांक 30/1/19 को पेश हो।</p>	
30/1/19	<p>वकील वारी उपर्युक्त प्रार्थी से 3 की ओर से वकील श्री अजेश भुजट ने वकालतनामा पेश किया है। बकाया के नोटिस प्राप्त नहीं। मू. अ. रिपोर्ट प्राप्त हो चुके हैं। मू. अ. वकालत बकाया की तलबी हेतु दिनांक 12/2/19 को पेश हो।</p> 	

12/2/19

पत्रावली पेश बार एसोसियेशन में
कन्वेंशन कर कार्य स्वगन
का निवेदन किया / पत्रावली दिनांक
हाकर दिनांक 6/3/19 को पेश हो

6/3/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
वधारे है पत्रावली दिनांक 25/3/19
को पेश हो।

25/3/19 वकुलाय उप। अप्रार्थी 1 से 3 का जवाब
व बकाया की तलबी पेश कले हेतु समप वाले
है। प्रकार 25/14 का है जिसे निस्तान हेतु समप
सिमा निर्धारित है वकील प्रार्थी बकाया के नोटिस
रजिस्टर्ड डाक से भिजवाए जाते हेतु नोटिस मप
अर्चा पेश कले। दि 16 9.4.19 को पेश हो।

9/4/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
वधारे है पत्रावली दिनांक 26/4/19
को पेश हो।

16/4/19

पत्रावली पेश बार एसोसियेशन में
कन्वेंशन कर कार्य स्वगन
का निवेदन किया / पत्रावली दिनांक
हाकर दिनांक 28/4/19 को पेश हो।

23/4/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
वधारे है पत्रावली दिनांक 29/4/19
को पेश हो।

29/4/19 वकुलाय उप। अप्रार्थी 4, 6, 7, 8, 9, 10 का
जवाब पेश किया जो शा. बि. किया गया। 15
वले बकाया की तलबी हेतु दिनांक 8/5/19
को पेश हो।

वकील प्रार्थी ने दए पेश कर निवेदन किया है कि अपार्थी 5 व ॥ की जाती ब्राह्मण के हथान पर सहवन से जाट अंकित हो गई है जिसे पुकस्त कर टाइल में जाट के हथान पर ब्राह्मण अंकित किया जावे। वकील अपार्थी ने दए पर एतराज नहीं किया है दए वीकाट क्रिरे जौन में सहमति दी है। अतः दए 06/17 के वीकाट की जाकर अपार्थी 5, ॥ की जाती पुकस्त की जाती है। वकील प्रार्थी संशोधित टाइल व सपप एवं वकील अपार्थी 022R4 के का जवाब पेश करे 18/6/19 को पेश हो

७म

18/6/19 वकुलाय उप। संशोधित शीकट पेश किया है। वकील अपार्थी मूल प्रपत्र व दए 022R4 के का जवाब पेश करने हेतु सपप चाहते हैं। प्रकरण 251A का है जिसके निस्तान की सपप सीमा तय है। वकील अपार्थी को शक्तिम अवसर दिया जाता है। आशानी पेशी पर पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया जावेगा। 18/6/24/6/19 को पेश हो

७म

24.6.19 वकुलाय उप। अपार्थी ॥ का नैरिख तामील सुन प्राप्त होने के बावजूद अउपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील अपार्थी ने 022R4 के का जवाब पेश किया जो शक्तिम किया गया। वकील अपार्थी ने मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की है। वकील प्रार्थी मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं। मि वल्ले बहस दए 022R4 के व मौका रिपोर्ट पर आपत्ति का जवाब दिने 25/6/19 को पेश हो।

25/6/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बंधारे हैं। दिनांक 26/6/19 का पेश है।

26/6/19 वकुलाग्र उपण बहस दृ० 022 RVCPC
 सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि
 अपार्थी 5 घीसालाल फौत हो गया है जिसके
 विधिक वारिदान को रिफंड पर लिया जावे।
 वकील अपार्थी ने एतराज किया है कि अपार्थी 5
 कब फौत हुआ दिनांक अंकित नहीं किया है न ही
 मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है जिससे दृ०
 जालिज फरमापी जाकर मूल प्रापण पत्र जारी
 भिरे जालिज फरमापा जायें। दौरान बहस करीब
 प्रार्थी ने तर्क दिया है कि अपार्थी 5 स्वीकार किया
 करता है परिवार जाति अलगा है जिससे मृत्यु
 की जानकारी प्रार्थी को नहीं हो सकी है न ही
 रिफंड में परिवर्तन हुआ है जिससे अपार्थी 5
 के स्वर्गवास की जानकारी नहीं हो सकी है इस
 लिए देरी से दृ० पेश की है। प्रार्थी द्वारा
 दिया गया तर्क अघेत प्रतीत होता है। अतः
 200/- कॉस्ट पर दृ० 022 RVCPC स्वीकार की
 जाकर अपार्थी 5 के दृ० को रिफंड पर लिया
 जाता है। वकील प्रार्थी संशोधित शीर्षक व
 तलबी पेश करे। व बहस मौका रिपोर्ट की दृ०
 हेतु पत्रावली 3/7/19 को पेश हो।

Dr.

3/7/19 वकुलाग्र उपण संशोधित शीर्षक पेश
 किया जो शांति किया गया। अपार्थी 5। से 5।
 के गौरिस तामील खुदा प्राप्त के बावजूद अनुपस्थित
 रहे एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अपार्थी
 1 से 3 ने जवाब मूल प्रापण पत्र पेश किया नमूल
 ही गई। बहस दृ० बावत मौका रिपोर्ट लुनी
 गई। इसके आदेश दृ० व मूल प्रापण
 की बहस हेतु दिनांक 9-7-19 को पेश हो।

Dr.

9/7/19 वकुलाग्र उपण आपत्ति दृ० का निर्णय मूल
 प्रापण के निर्णय के साथ ही सुनाया जायेगा
 पुराना पुराना है मूल बहस हेतु अन्तिम श्रवसा
 दिया जाता है आगामी देरी पर बहस नहीं करे पर
 पत्रावली में अपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर भंडि
 पर निर्णय किया जायेगा। अतः 10-7-19 को पेश हो।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
10/7/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार में हैं। पत्रावली दिनांक <u>11/7/19</u> का पेश हो।</p>	
<u>11/7/19</u>	<p>वकूलाय उप. बहस हेतु समय चाहिए है पूर्व में अन्तिम अवसर दिया जा चुका है तथा पीठ में एक अवसर दिया जाता है। 12-7-19 को पेश हों।</p> <p>Om -</p>	
<u>12/7/19</u>	<p>वकूलाय उप. इस प्रार्थना-पत्र व पक्षकारान के बीच पूर्ववृत्ति प्रा. पत्र 251A के तहत विचाराधीन है जिसे 8 नम्बर 81/18 नायाणराम बनाम इश्वराम विचाराधीन है। बहस श्रुती आकर पूर्व प्रा. पत्र 81/18 के साथ अपेक्षा हेतु पेश हों।</p> <p>दिनांक 17/7/19 को</p> <p>Om -</p>	
<u>17/7/19</u>	<p>वकूलाय उप. विस्तृत निर्णय प्रा. पत्र 81/18 में लिखा जाकर दुगापा गया। इस प्रा. पत्र में पूर्व प्रार्थना-पत्र के साथ नहीं किया जाकर नम्बर से कर किया जाता है।</p> <p>Om -</p> <p>सपखण्ड अधिकारी नाया (नागौर)</p>	